

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 09.07.25

रीडर/2025/5850

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मांगीलाल 2 बाबुलाल  
पिसरान खंगारमल 3  
जुंजाराम पुत्र नारायणदास  
4 चन्द्रकला पत्नि  
नारायणदास 5 प्रेमराज  
पुत्र रणजीतमल 6  
खेताराम 7 मोहनलाल 8  
सतीश कुमार पिसरान  
मेघराज जाति दर्जी  
निवासी लुणू खूर्द तहसील  
व जिला बाड़मेर।

1 हाथीसिंह 2 जेतमालसिंह पिसरान सुजानसिंह जाति  
राजपूत निवासी लुणू खूर्द तहसील बाड़मेर 3 चैनाराम 4  
सेवाराम 5 मेवाराम पिसरान कस्तुराराम जाति दर्जी  
निवासी सरदारपुरा, बाड़मेर तहसील बाड़मेर 3 रमेश पुत्र  
नगाराम जाति दर्जी निवासी दर्जीयो का पुराना वास,  
बाड़मेर 7 दिनेश पुत्र वीरचन्द सुथार निवासी सरदारपुरा  
बाड़मेर तहसील बाड़मेर 8 दीपसिंह पुत्र मोडसिंह राजपुत  
निवासी गेहूं तसहील व जिला बाड़मेर 9 रेखाराम पुत्र  
धुडाराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर तहसील  
व जिला बाड़मेर 10 पुनमाराम पुत्र धुडाराम जाति जाट  
निवासी हाडाला सुथारो का तला, तहसील बाड़मेर 11  
छगनाराम पुत्र खीमाराम 12 गणेश 13 डलाराम पिसरान  
पताराम जाति भील निवासी गेहु तहसील व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 159/2021

दिनांक- 01/07/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लुणू खूर्द पटवार क्षेत्र चुली तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 490/397 रकबा 6.13 बीघा, खसरा संख्या 564/397 रकबा 21.00 बीघा, खसरा  
संख्या 567/397 रकबा 20.00 बीघा, खसरा संख्या 568/397 रकबा 6.13 बीघा व खसरा संख्या  
569/397 रकबा 6.14 बीघा, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने  
हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व  
प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में  
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक  
04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये  
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर  
अदा किया जावेगा।

  
(वीरगा राम)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर


उप खण्ड अधिकारी  
दिनांक-बाड़मेर

09.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5851-54

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चुली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मांगीलाल पुत्र खंगारमल जाति दर्जी निवासी लुणू खूर्द तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण हाथीसिंह पुत्र सुजानसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी लुणू खूर्द तहसील बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर